न्यायालय भू - प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

राधाकिशन बनाम लक्ष्मीनारायण

किस्म मुकदमा धारा - 75 मि0 नं0 103/2019 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री केदारलाल भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15-03-22	पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी महोदय का स्थानान्तरण हो जाने के कारण पद रिक्त है । अतः पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहस /तलवी हेतु दिनांक 22-03-2022 को पेश हो । राकेश रीडर न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
22-03-22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-03-22 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज०)	
23-03-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो किये जाने अपील पेश किया। प्रार्थना पत्र में अपीलांट व रेस्पोंडेंटगण के बीच समझौता (राजीनामा) हो गया है। अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः अपीलांट अभिभाषक के पत्रानुसार As a विड्रोल की जाकर खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज०)	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

19-8-19 23-7-19

(भावना राघव गुर्जर)
भू प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.) 23-7-19

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवम पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील एल0 आर0 एक्ट सन 2019 जिला बांरा

राधाकिशन पुत्र लटूर जी जाति सहरिया निवासी ग्राम बांसथूनी तहसील किशनगंज जिला बांरा – अपीलान्ट

बनाम

1– लक्ष्मीनारायण आत्मज मांगीलाल जाति बैरवा निवासी इकलेरा सागर तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0 मूल खातेदार

2– नन्दकिशोर गोयल पुत्र भगवानलाल गोयल जाति महाजन निवासी नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बांरा

3– हेमन्तकुमार गोयल पुत्र भगवानलाल गोयल जाति महाजन निवासी नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बांरा

4–शकुन्तला मित्तल पत्नि दुलीचन्द जी मित्तल जाति महाजन निवासी महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा

5–परमानन्द गोयल पुत्र भगवानलाल गोयल जाति महाजन निवासी नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बांरा

6– सत्यनारायण गोयल पुत्र भगवानलाल गोयल जाति महाजन निवासी नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बांरा 2 लगायत 5 परचेजर भूमि

7– दी स्टेट आफ राजस्थान जरये तहसीलदार किशनगंज जिला बांरा

रेस्पो0

[redacted] नि0व0 राधाकिशन

<u>अपील विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी किशनगंज जिला बांरा पत्रावली कमांक राजस्व/2018/852–56 दिनांक 18–12–2018 संपरिवर्तन आदेश खातेदार लक्ष्मीनारायण की पत्रावली पर – अन्तर्गत धारा 75दी राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u>

मान्यवर,

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

मूल खातेदार लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री मांगीलाल जी जाति बैरवा निवासी इकलेरा सागर तहसील किशनग्रंज जिला बांरा द्वारा अपनी खाते की आराजी वाके ग्राम नाहर गढ तहसील किशनगंज जिला बांरा के ख0 न0 338/1 की 3.12 बीधा ख0 न0 339/1 की 1.44 बीधा, तथा ख0 न0 339/3 की 1.17 बीधा कुल 3 किता आराजी कुल रकबा 7 बीधा 3 बिस्वा आराज को औद्योगिक प्रयोजनाथ संपरिवर्तन करवाने हेतु उपखंडी अधिकारी किशनगंज मे प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र को उपखंड अधिकारी किशनगंज द्वारा सशर्त स्वीकार करते हुवे उक्त आराजी को संपरिवर्तन करने का आदेश दिनांक 18–12–2018 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से यह अपील निम्न कारणो से पेश कर रहा है–

1– यह कि आदेश जेर अपील कानून न्याय एवम तथ्यो के सर्वथा विपरीत है।

2– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आराजी को स्रपरिवर्तन करने से पूर्व आस पास के खातेदारान की अनापत्ति प्राप्त किये बिना तथा उनको सूचना देकर सुनवाई किये जाने का मौका प्रदान किये बिना ही उपरोक्त आराजी को औद्यागिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। उपरोक्त आराजी के आस पास लगवा अन्य खातेदारान की एवम स्वयं अपीलान्ट की काश्त की आराजी है जिसमे वह खेती करता है तथा

राधाकिशन